भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 344
दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

344. श्री अजय कुमार मंडल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर साइबर अपराध की कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और यह आंकड़ा विगत वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है;

(ख) बिहार सहित पूरे देश में वर्ष 2024 में साइबर धोखाधड़ी के कारण नागरिकों को कुल कितनी हानि हुई और वर्ष 2023 की तुलना में इस आंकड़े में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) एनसीआरपी पर पंजीकृत कुल 19.18 लाख शिकायतों में से कितनी शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और शेष मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा वर्ष 2024 में आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर के कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 344 दिनांक 22.07.2025

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पंजीकृत साइबर अपराध की घटनाओं की कुल संख्या और उनमें हुई वृद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वर्ष	कुल घटनाएं	पिछले वर्ष की तुलना में घटनाओं में प्रतिशत वृद्धि
1	2022	1029026	127.44%*
2	2023	1596493	55.15%
3	2024	2268346	42.08%

* वर्ष 2021 में कुल 452429 घटनाएं दर्ज की गईं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। आई4सी द्वारा संचालित एनसीआरपी एवं सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 में बिहार सहित पूरे देश में साइबर धोखाधड़ी के कारण नागरिकों को हुए नुकसान की कुल राशि इस प्रकार है:

वर्ष	एनसीआरपी पर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों की संख्या	सीएफसीएफआरएमस मॉड्यूल में प्राप्त शिकायतें	रिपोर्ट की गई राशि (रुपये करोड़ में)
2023	1310354	1132624	7465.18
2024	1918865	1718423	22845.73

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे की कार्रवाई यानी आरोप पत्र दाखिल करना, गिरफ्तारी और शिकायतों का समाधान से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

ii. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

iii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

iv. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। अब तक, बैंकों से प्राप्त 11 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 4631 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं।

v. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी

मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 10,599 आरोपियों की गिरफ्तारी, 26,096 लिंकेज और 63,019 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

vi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी**,** नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए**,** जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली**,** जैसे डिजिटल गिरफ्तारी**,** निवेश घोटाला**,** मैलवेयर**,** फर्जी लोन ऐप**,** फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन**,** आदि शामिल थे।
4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भागीदारी आदि शामिल हैं।
5) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव

का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

****